भारत सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 687

दिनांक 22.07.2026 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय ई-विधान अनुप्रयोग (नेवा)

687. श्री देवुसिंह चौहानः
श्री प्रदीप कुमार सिंहः
श्री मनोज तिवारीः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री शंकर लालवानीः
श्री कृपानाथ मल्लाहः
श्री दिनेशभाई मकवाणाः
श्री योगेन्द्र चांदोलियाः
श्री जय प्रकाशः
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः
श्री राजपालसिंह महेंद्रसिंह जादवः
डॉ. संजय जायसवालः

क्या **संसदीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अब तक स्थापित राष्ट्रीय ई-विधान अनुप्रयोग सेवा केंद्रों की संख्या कितनी है;
(ख) क्या पश्चिम बंगाल सहित हाल ही में शामिल हुए विधानमंडलों के सदस्यों और कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया गया है; और
(ग) विधेयकों, प्रश्नों और कार्यवाहियों तक पहुंच के लिए 23 भाषाओं में उपलब्ध राष्ट्रीय ई-विधान अनुप्रयोग (नेवा) सार्वजनिक पोर्टल का जनता द्वारा किस सीमा तक उपयोग किया गया है?

उत्तर

विधि एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) अभी तक, 22 विधायी सदनों में नेवा सेवा केंद्र (ई-सुविधा केंद्र) स्थापित किए गए हैं।

(ख) हाँ। नेवा परियोजना के क्षमता निर्माण (Capacity Building) घटक के अंतर्गत नेवा को अपनाने वाले सभी विधानमंडलों के हितधारकों को नेवा के कार्यचालन से परिचित कराने के लिए व्यापक अभिविन्यास कार्यशालाएं और हर कदम पर मदद और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। हाल ही में, मंत्रालय ने 04.07.2026 को कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए नेवा पर एक सत्र आयोजित किया था।

(ग) नेवा सार्वजनिक पोर्टल, जो 23 भाषाओं में उपलब्ध है, नागरिकों को नेवा प्लेटफॉर्म पर शामिल विधानमंडलों के विधायी कामकाज - जैसे विधेयक, प्रश्न, कार्यवाही और अन्य विधायी दस्तावेजों - तक ऑनलाइन पहुँच प्रदान करता है। इस प्रकार, कई भाषाओं में उपलब्ध होने के कारण, जनता विधायी जानकारी पाने के लिए इस पोर्टल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है।
